

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpura20@gmail.com

पत्रांक.....1610...../

शेखपुरा, दिनांक 07/10/2024 /

प्रेषक,

ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

श्री पुरुषोत्तम कुमार, (संवेदक)
पिता-श्री अशोक कुमार,
मकान संख्या-91, मुहल्ला-चैदु कुआँ,
पोस्ट+थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा।
पिन-811101, मो0 नं0-7050456218.

विषय:- शीर्ष-MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ में अनुरक्षण कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-1549 दिनांक 30.09.2024.

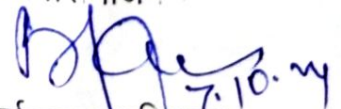
महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष-MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ भट्टचक मोड़ से भट्टचक पथ का स्थल निरीक्षण संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा माह सितम्बर 2024 में BRRMS App के माध्यम से किया गया, एवं निरीक्षणोपरान्त पथ को SRI (Satisfactory But Required Improvement) श्रेणी में रखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रासंगिक पत्र द्वारा भी आपको पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु अब तक अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है। आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कराना आपकी पूर्ण जबाबदेही है।

अतः कार्यहित में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर संबंधित कनीयन्ता अभियन्ता के देख-रेख में सभी आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराकर अधोइस्तादरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर बिहार ठिकेदारी पंजीकरण नियम (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम-11 के आलोक में आपके निबंधन को काली सूची में डालने एवं निबंधन को निलंबन हेतु अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा